

रामस्वरूप - नारायण 38/2016

दिनांक

आज्ञा पत्र

29-10

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेसी पर हिवायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रैजिस्ट्रेशन को अपीलान्त नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश दे दिया जायेगा कि अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक 29/10/18 को अपीलान्त नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इसलिये अपीलान्त को अपील खारिज की प्रति कपीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त को अपील खारिज की प्रति कपीर की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनने के बाद अपीलान्त को अपील खारिज से कम होकर बाद तृतीय सम्मेलन कर दिया गया है।



29/10/18  
सुभाषचंद्र बोस स्मृति  
महानगरपालिका अपील अधिकारी  
सोलाह (कोच बन्दुवुने)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official